रजिस्टर्ड

उत्तर प्रदेश शासन,
उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप अनुभाग-1
संख्या- 59/सू.अ.-04/84-1-2013-02 सू.अ./2012
लखनऊ दिनॉक 17 अक्टूबर, 2013

श्री आर0बी0 श्रीवास्तव,
एडवोकेट,
20/122, इन्दिरा नगर,
लखनऊ।

कृपया अपने पत्र दिनॉक 01-10-2013 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत जन सूचना अधिकारी, प्रमुख सचिव, खाद्य तथा रसद विभाग, लखनऊ से 03 बिन्दुओं पर सूचनायें मॉगी गई थीं। इस संबंध में आप द्वारा मॉगी गयी बिन्दुवार सूचनाएं निम्नवत् हैं:-

1- आपके पत्र में उल्लिखित शासनादेश संख्या-8191/29-अधि-2-बाट-माप-44/68 शासन स्तर पर उपलब्ध नहीं है
2- प्रयोगशाला परिचर को समूह 'घ' से अलग नहीं किया गया है।
3- दिनॉक 16-11-2011 को इस संबंध में प्रमुख सचिव, खाद्य एवं रसद की अध्यक्षता में कोई बैठक आयोजित नहीं हुई।

(धर्म चन्द्र पाण्डेय)
अनु सचिव/जन सूचना अधिकारी।

संख्या तथा दिनॉक यथोक्त।

अनुभाग अधिकारी (लेखा), खाद्य एवं रसद विभाग को पोस्टल आर्डर सं0-17एफ-539776 दिनॉक 1-10-13 को संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित किया जा रहा है कि इसे राजकोष में जमा कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(धर्म चन्द्र पाण्डेय)
अनु सचिव/जन सूचना अधिकारी।

http://shasanadesh.up.nic.in